न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 2778—दो/2014 जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह अपील आवेदन—पत्र भू—राजस्व संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 630/अ—21/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	
	2— मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पुरैनी, तहसील व जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 86, 89, 109 व 83 कुल रकबा 3.370 हैक्टयर भूमि विक्रय करने की अनुमति इस आधार पर चाही गयी थी कि उसकी अन्य कृषि भूमियॉ जो ग्राम देवगंवाकला जिला उमरिया में स्थित है उसको सिंचित एवं उपजाऊ बना सके तथा स्वयं का इलाज भी करा सकें तथा उक्त जमीन के विक्रय के उपरांत भी रकबा 6.169 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के पास शेष बचती है, अतः अपीलार्थी ने भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर, कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर ने खारिज किया है और अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपर द्वारा खारिज की गयी है उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यथोचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया है अपीलार्थी द्वारा कुल रकबा 3.370 हैक्टेयर कृषि भूमि विक्रय कर ग्राम देवगंवाकला, जिला उमरिया में स्थित भूमि सा...	

6.169 हैक्टेयर भूमि को सिचिंत एवं उपजाऊ बनाकर स्वयं का इलाज कराने हेतु भूमि विक्रय का ठोस कारण नहीं होना मानकर आवेदन–पत्र खारिज किया है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय किया जाना उचित नहीं मानकर अपील खारिज की गयी है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जो कृषि भूमि विक्रय किये जाने के पश्चात् वह भूमिहीन नहीं होगा बल्कि अपनी शेष बची भूमि रकवा 6.169 हैक्टेयर को सिचिंत एवं उपजाऊ बनाकर तथा अपने स्वयं का इलाज कराने हेतु भूमि विक्रय की अनुमति चाही है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

3– प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी मुन्नालाल पुत्र भागीरथ गौड द्वारा ग्राम पुरैनी में स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 86, 89, 108, 88 कुल रकवा 3.370 हैक्टेयर असिचिंत भूमि को विक्रय की अनुमति के हेतु आवेदन संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर, कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे कलेक्टर ने विक्रय किये जाने हेतु ठोस कारण नहीं होन मानकर आदेश दिनांक 04.08.2010 से खारिज किया गया है। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने अपील प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति गैर आदिवासी श्रीमती प्रभा पत्नी उत्तमचन्द्र जैन, निवासी कटनी को चाही है, जबकि क्रेता गैर आदिवासी है इसीलिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत भूमि विक्रय की अनुमति का उद्देश्य आदिवासी को छलकपट एवं षडयंत्रपूर्ण कार्यवाही से बचाना है। अपीलार्थी मुन्नालाल पुत्र भागीरथ गौंड, कृषि भूमि रकवा

3.370 हैक्टेयर विक्रय कर ग्राम देवगंवाकला, जिला उमरिया में स्थित शेष भूमि रकबा 6.179 हैक्टेयर को सिंचित एवं उपजाऊ बनाने तथा अपना स्वयं का इलाज कराने हेतु यह भूमि विक्रय का पर्याप्त आधार है। अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपर ने अपील मे प्रश्नाधीन भूमि को क्रेता गैर आदिवासी होने से विक्रय की अनुमति नहीं दी है जबकि यह आधार विक्रय की अनुमति दिये जाने के लिए पर्याप्त एवं उचित नहीं।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और कलेक्टर, कटनी का आदेश दिनांक 04.08.2010 एवं अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपर का आदेश दिनांक 08.08.2012 एवं 05.04.2014 निरस्त किये जाते है। अपीलार्थी मुन्नालाल पुत्र भागिरथ गौड़ को ग्राम पुरैनी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 86, 89, 109, 88 कुल रकबा 3.370 हैक्टेयर विकय करने की अनुमति दी जाती है । पक्षकार सूचित हो, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजने के पश्चात् राजस्व मण्डल अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाये।

सदस्य

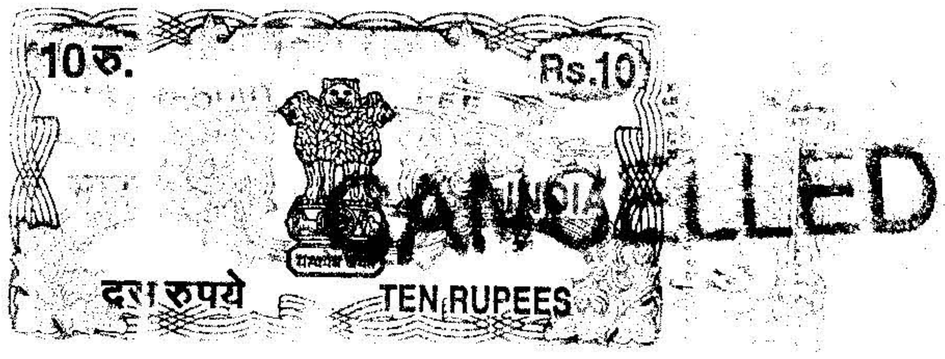
10 रु.
Rs.10
INDIA
CANCELLED
दस रुपये
TEN RUPEES